अनुदान संख्या 51 - गृह मंत्रालय
GRANT No. 51 – MINISTRY OF HOME AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged –*		*30,00*	. .	*-30,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	3195,12,00	4232,66,00	4097,47,83	-135,18,17
पूरक	Supplementary	1037,54,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	87,97,00	111,65,00	104,75,49	-6,89,51
पूरक	Supplementary	23,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹30.00 लाख* का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹13518.17 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹103754.00 लाख के पूरक अनुदानों का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹30.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2070" – "Other Administrative Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹13518.17 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of ₹103754.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	17194.00			
पू.	S.	572.00	18378.10	17567.15	-810.95
पु.	R.	612.10			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	83143.00			
पू.	S.	10881.00	105631.13	101813.29	-3817.84
पु.	R.	11607.13			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas		9200.00	8307.35	-892.65
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	197599.00			
पू.	S.	92301.00	277829.77	270500.74	-7329.03
पु.	R.	-12070.23			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	12134.00	12075.00	11489.32	-585.68
पु.	R.	-59.00			

(I) ₹5.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग" के अंतर्गत ₹2603.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹453.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3056.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹469.25 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - गृह मंत्रालय का विभागीय लेखांकन संगठन" - ₹1342.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹250.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1592.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मशीनरी तथा उपस्कर के लिए कुछ अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹134.89 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3454" - "सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर" - ₹68355.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹92300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹160655.50 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, डाक विभाग के बिलों का भुगतान न किए जाने और पहचान-पत्र के उत्पादन के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹7803.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹172.60 लाख की बचत (₹5.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2636.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालयी खर्चों, प्रशिक्षण और आयुध एवं गोला-बारूद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under Major Head "2070" - "Special Commissions of Enquiry – Other Commissions" - the original provision of ₹2603.00 lakhs was augmented to ₹3056.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹ 453.00 lakhs. However, there was a saving of ₹469.25 lakhs (including supplementary grant) – due to end of tenure of the Commission.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Departmental Accounting Organisation of MHA" - the original provision of ₹1342.00 lakhs was augmented to ₹1592.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹250.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹134.89 lakhs – due to non-finalisation of some procurement proposals for machinery and equipment relating to information technology.

(B) Major Head "3454" – "Surveys and Statistics – Other Expenditure – National Population Register" – the original provision of ₹68355.50 lakhs was augmented to ₹160655.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹92300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7803.49 lakhs – due to non-payment of bills of Department of Posts and non-finalisation of proposal for production of Identity Card.

(IV) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Narcotics Control Bureau"– saving of ₹172.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2636.00 lakhs including token supplementary grant of ₹5.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses, training and arms and ammunitions.

(V) Under Major Head "2070" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक'' - ₹110.92 लाख की बचत (₹453.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत वित्त प्रभाग से मुद्रण सामग्री के प्रस्ताव का अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण'' - ₹122.57 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चार परामर्शदाताओं के कार्यग्रहण में विलम्ब होने की वजह से निगरानी और मूल्यांकन कार्य धीमी गति से होने के कारण हुई।

(गा) ''आप्रवास ब्यूरो'' -

(क) ''प्रवासियों को सेवाएं'' - ₹1573.75 लाख की बचत (₹8370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मशीनरी की खरीद किए जाने और लघु कार्यों के लिए दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आप्रवास, वीजा एवं विदेशियों के पंजीकरण और खोज-खबर पर मिशन मोड परियोजना'' - ₹202.10 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाल ही में शुरू की गई परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अवरोधों की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2552'' - जनगणना - निदेशन और प्रशासन- भारत का महापंजीयक'' के अंतर्गत ₹892.65 लाख की बचत (₹9200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना, 2011 के लिए परिगणकों को प्रशिक्षण भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - ₹1755.99 लाख की बचत (₹7614.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल, तेल और स्नेहकों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और प्रशासनिक विलम्ब की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Civil Defence – Director General of Civil Defence" – saving of ₹110.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹453.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval for proposal of printing material from Integrated Finance Division.

(B) "Fire Protection and Control – Strengthening of Fire and Emergency Services" – saving of ₹122.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to slow pace of monitoring and evaluation work owing to delay in joining of four consultants.

(C) "Bureau of Immigration" –

(a) "Services to Migrants" – saving of ₹1573.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8370.00 lakhs) was due to purchase of less machinery and non-receipt of claims for minor works.

(b) "Mission Mode Project on Immigration, Visa and Foreigners Registration & Tracking (IVFRT)" – saving of ₹202.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to requirement of less funds owing to various obstacles in implementing newly introduced project.

(VI) Under Major Head "2552" – "Census – Direction and Administration – Registrar General of India" – saving of ₹892.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9200.00 lakhs) was due to requirement of less funds for training allowances to enumerators for Census, 2011.

(VII) Under Major Head "3454" – "Census"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Superintendence" – saving of ₹1755.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7614.99 lakhs) was due to requirement of less funds for POL and non-filling up of vacant posts owing to administrative delay.

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "परिगणन" - ₹9739.30 लाख की बचत (₹94274.53 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किटों और लेखन सामग्री मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, राज्यों से दावे प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रकाशन" - ₹1752.11 लाख की बचत (₹9400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "जन्म-मरण के आंकड़ों की प्रणाली में सुधार" - ₹197.27 लाख की बचत (₹1314.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाथ में पकड़ने वाले उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी न किए जाने और राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति" - ₹165.63 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत वित्त प्रभाग से प्रतिपूर्ति दावे के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान- नागरिक सुरक्षा के नवीकरण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान" - ₹325.13 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IX) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹509.60 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Enumeration" - saving of ₹9739.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94274.53 lakhs) was due to requirement of less funds for purchase of kits and stationery items, non-receipt of claims from States and less tours undertaken.

(b) "Publications" - saving of ₹1752.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9400.00 lakhs) was due to requirements of less funds towards publications.

(c) "Improvements in Vital Statistics Systems" – saving of ₹197.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1314.30 lakhs) was due to non-completion of bidding process by National Informatics Centre Services Inc for procurement of Handheld Devices and non-receipt of utilization certificates from the States.

(VIII) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Other Administrative Services - Civil Defence – Reimbursement to States for Civil Defence" - saving of ₹165.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for proposal of reimbursement claim from Integrated Finance Division.

(B) "Grants for the States Plan Schemes – Block Grants - Grants-in-aid to States for revamping of Civil Defence" – saving of ₹325.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(IX) Under six heads savings of ₹509.60 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 29 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14509.18 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा ₹10882.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "क्षेत्रीय परिषदें - अंतर्राज्यीय परिषद" - ₹298.35 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹171.14 लाख था।

(ख) "आसूचना ब्यूरो - स्थापना और प्रशासन" - ₹11126.73 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9824.53 लाख था।

(ग) "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - स्थापना और प्रशासन" - ₹723.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹458.03 लाख था।

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक - संघवाद पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" - ₹126.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹118.01 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3454" - "जनगणना - अन्य व्यय" -

(क) "पृथक्करण और संकलन" - ₹630.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹462.42 लाख था।

(ख) "पंजीकरण, प्रोन्नति पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन" - ₹1605.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1472.68 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - गृह मंत्रालय" - ₹121.62 लाख का अधिक व्यय (₹317.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹13341.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की

3.(I) The above savings were partly (₹14509.18 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹10882.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2070" –

(a) "Zonal Councils – Inter State Council" - ₹298.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹171.14 lakhs.

(b) "Intelligence Bureau – Establishment and Administration" – ₹11126.73 lakhs. Actual excess, however, was ₹9824.53 lakhs.

(c) "National Investigation Agency – Establishment and Administration" – ₹723.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹458.03 lakhs.

(d) "International Conference/Meeting – Fourth International Conference on Federalism" – ₹126.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹118.01 lakhs.

(B) Major Head "3454" – "Census - Other Expenditure" –

(a) "Abstraction and Compilation" – ₹630.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹462.42 lakhs.

(b) "Registration, Promotion Method, Research and Population Studies" - ₹1605.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 1472.68 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat - Ministry of Home Affairs" – excess of ₹121.62 lakhs (against the total sanctioned provision of

तुलना में) वेतनमानों के संशोधन और बकाया की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹13341.00 lakhs including supplementary grant of ₹317.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards revision of pay scales and payment of arrears.

(खा) मुख्य शीर्ष "3454" - "जनगणना - जनगणना आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली" - ₹161.73 लाख का अधिक व्यय (₹5649.73 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना, 2011 के लिए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3454" – "Census – Computerisation of Census Data – Computer System for Processing Census Data" – excess of ₹161.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5649.73 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries for employees engaged for Census, 2011.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹689.51 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹2368.00 लाख के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹689.51 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grants of ₹2368.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2551.00			
पू.	S.	2072.00	4673.70	4414.71	-258.99
पु.	R.	50.70			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	5785.00			
पू.	S.	296.00	6129.00	5719.55	-409.45
पु.	R.	48.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"					
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	461.00		362.30	341.23	-21.07
पु.	R.	-98.70				

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - आप्रवास ब्यूरो " के अंतर्गत ₹502.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं, जो तथापि, आप्रवास ब्यूरो का कार्यालय, बंगलौर के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण ₹98.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under Major Head "4059" – "General - Construction – Bureau of Immigration" - funds of ₹502.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹98.40 lakhs - due to non-acquisition of land for Bureau of Immigration Office, Bangalore.

(III) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure"– savings occurred under the following heads:-

(का) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - ₹108.52 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(A) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹108.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 300.00 lakhs) was due to purchase of less Machinery and Equipments.

(खा) "जनगणना" - ₹254.22 लाख की बचत (₹2358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए आवश्यक अंतिम जीवमितीय नामांकन सॉफ्टवेयर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Census" – saving of ₹254.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2358.00 lakhs) was due to non-receipt of final biometric enrollment software required for National Population Register from Unique Identification Authority of India.

(गा) "आप्रवास ब्यूरो" - ₹129.55 लाख की बचत (₹260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चेन्नई, कोलकाता और विदेशियों के पंजीकरण कार्यालयों के लिए क्लोज

(C) "Bureau of Immigration" - saving of ₹129.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260.00 lakhs) was due to non-completion of codal

सर्किट टेलीविजन की अधिप्राप्ति के लिए संकेत पद्धति की औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

formalities to procure Close Circuit Televisions for Chennai, Kolkata and Foreigners Registration offices.

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवास भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के आवासों पर सुरक्षा संबंधी कार्य" के अंतर्गत ₹119.77 लाख की बचत (₹461.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संरक्षितों के आवास पर नवीकरण कार्य पूरा न हो पाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing – Security related works at the residences of protectees"– saving of ₹119.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹461.00 lakhs) was due to non-completion of renovation work at protectees residence.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹125.40 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹125.40 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 56 percent and 69 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹512.70 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹297.00 लाख का पूरक अनुदान करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

5. The above savings were partly (₹512.70 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹297.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर" - ₹98.70 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹104.04 लाख था।

(A) Major Head "4059" – "General - Construction – National Fire Service College, Nagpur" – ₹98.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹104.04 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो"- ₹414.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹308.82 लाख था।

(B) Major Head "4070" – "Other Expenditure– Intelligence Bureau" – ₹414.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹308.82 lakhs.